राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(आर–100) अलेसे–I/2610-2616 दिनांकः– 15/02/2023

आदेश

श्री रतन सिंह मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (निलम्बित), निलम्बित मुख्यालय–कोषालय, धौलपुर के विरूद्ध उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा चालान प्रस्तुति पर दिनांक 14.07.2022 को उन्हें गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारागार, भरतपुर में दिनांक 14.07.2022 से 05.08.2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री मीना को गिरफ्तारी दिनांक 14.07.2022 से निलम्बित किया गया था।

श्री मीना को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री मीना द्वारा निर्वाह भत्ता बढाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री रतन सिंह मीना, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(आर–100) अलेसे–I/2610-2616 दिनांकः– 15/02/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3 उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4 कोषाधिकारी, धौलपुर।
5 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6 श्री रतन सिंह मीणा, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, मुख्यालय–कोषालय, धौलपुर।
7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)